राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1339/2015/नागौर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–मकराना .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

मैसर्स महावीर नमक उद्योग, नावां सिटी, जिला नागौर .....**प्रत्यर्थी.**

खण्डपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

ओमकार सिंह आंशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई

उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री वी.सी. सोगानी

अभिभाषक .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 09.03.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 183/12–13/प्रवेश/मकराना में पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त मकराना (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 12 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 के ज़रिये कायम की गयी मांग राशि प्रवेश कर रूपये 14,51,207/– तथा ब्याज 4,35,362/– तथा शास्ति 500/– कुल मांग राशि 1887069/– को अपास्त किये जाने पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के आलौच्य वर्ष 2010–11 में खरीदे गये माल रूपये 3,62,80,173/– का माल HDPE/ LDPE Bags राज्य के बाहर से खरीद मानते हुए इस माल पर 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर 14,51,207/– रूपये तथा प्रवेश कर जमा नहीं होने पर 30 माह का विलम्ब मानते हुए ब्याज रूपये 4,35,362/– तथा वार्षिक विवरण पत्र ETLA-5 प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति रूपये 500/– आरोपित की गयी कुल मांग राशि 18,87,069/– रूपये आरोपित की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित प्रवेश कर व ब्याज को अपास्त करते हुए शास्ति को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 13.04.2015 से व्यथित होकर सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

09/03/18

लगातार.....2.

4. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.01.2013 का समर्थन करते हुए यह कथन कया गया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.04.2015 विधिसम्मत नहीं है। इनके द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनः बहाल किया जाकर अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2009 के द्वारा प्रत्यर्थी को निर्माणकर्ता की श्रेणी में माना है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 से माइक्रो एवं स्माल इकाइयों को टैक्स से राहत प्रदान की गयी है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि वर्तमान प्रकरण के समान तथ्यों पर ही माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की खण्डपीठ द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय दिनांक 23.02.2016 मैसर्स श्रीश्याम इण्ड, हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीगंगानगर 45 टैक्स अपडेट 35 एवं अपील संख्या 1340/2015/नागौर वाणिज्यिक कर अधिकारी मकराना (नागौर) बनाम् मैसर्स मारूती साल्ट कम्पनी, नावा सिटी, नागौर के निर्णय दिनांक 31.07.2017 में अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के आधार पर सूक्ष्म व लघु उद्योगों की इकाईयों को कर से रियायत का पात्र माना गया था। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, अतः राजस्व की अपील को अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.04.2015 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. वर्तमान प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि "क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म लघु इकाई होते हुए प्रवेश कर से मुक्ति की पात्र है?" इस संबंध में अधिसूचना No. F-12(99)FD/07-65 Dated 14-02-2008 जैसी वर्ष 2010–11 के दौरान प्रचलन में थी, उल्लेख किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है:–

"In exercise of the powers conferred by section 9 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Rajasthan Act No. 13 of 1999) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts tax payable under the said Act, by a registered dealer who commences purchase of plant and machinery on or after 14-02-2008 for setting up of enterprises, during the period the enjoys Status of Micro, Small or Medium enterprises as defined in he Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act No. 27 of 2006), in respect of raw and processing materials and packaging materials excluding fuel."

इस प्रकार उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 संख्या F-12(99)FD/07-65 के अनुसार माइक्रो एवं स्मॉल इकाईयों को पैकिंग मैटिरियल पर प्रवेश कर पर शत

09/03/18

लगातार.....3.

प्रतिशत छूट प्राप्त है। जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2009 के अनुसार प्रत्यर्थी फर्म के व्यापार (Business) की प्रकृति को निर्माणकर्ता एवं स्मॉल इकाई की श्रेणी में माना गया है।

8. इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय दिनांक 23.02.2016 मैसर्स श्रीश्याम इण्ड, हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीगंगानगर 45 टैक्स अपडेट 35 में विस्तृत व्याख्या की गयी है कि दिनांक 14.02.2008 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाई को कर मुक्ति अथवा कम दर से कर देयता लागू होगी एवं इस संबंध में दिनांक 16.01.2009 की अधिसूचना F.2(10)2006/MSME-Policy की विस्तृत विवेचना की गयी है। इसके अनुसार किसी उपक्रम (उद्यम) के MSME Act 2006 के अन्तर्गत होने के लिये उसमें प्लाण्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होने एवं Industries (Development and Regulation) Act 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होने संबंधी दोनों शर्तों की पालना करना आवश्यक है। इसी प्रकार MSMED Act 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16.01.2009 को संशोधन करते हुए MSME की परिभाषा में विस्तार किया गया है जिसमें अनुसार Industries (Development and Regulation) Act 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तु के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे हुए उद्यम अथवा भिन्न नाम, प्रयोग एवं लक्षण रखने वाले अन्तिम उत्पाद के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया (Process) में प्लाण्ट एण्ट मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम को भी MSME की श्रेणी में माना गया है।

9. जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2009 के अनुसार प्रत्यर्थी फर्म के व्यापार (Business) की प्रकृति को निर्माणकर्ता एवं स्मॉल इकाई की श्रेणी में माना गया है। अधिसूचना No. F-12(99)FD/07-65 Dated 14-02-2008 के अनुसार आलोच्य अवधि में माइक्रो एवं स्मॉल इकाईयों को पैकिंग मैटिरियल पर प्रवेश कर पंर शत प्रतिशत छूट प्राप्त है, अतः प्रत्यर्थी की इकाई को प्रवेश कर से छूट प्रदान नहीं करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि कारित की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी इकाई के निर्माणकर्ता एवं स्मॉल इकाई की श्रेणी में होने से उस पर आरोपित प्रवेश कर एवं ब्याज को अपास्त करने का पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 विधि सम्मत है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से पुष्टि किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.04.2015 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

09/03/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य